नीरज वर्मा, भा.प्र.से.
NIRAJ VERMA, IAS
सचिव
SECRETARY

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
DEPARTMENT OF JUSTICE

हिंदी दिवस संदेश

हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में और इसी दिन से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं, राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है।

अत: राजभाषा में काम करना न केवल हमारा संवैधानिक दायित्व है अपितु नैतिक कर्तव्य भी है, हम सभी को राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम, 1963, और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसरण में हिंदी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।

हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं विभाग के सभी अधिकारियों व कार्मिकों से अपील करता हूं कि वे विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने और आत्मनिर्भर होने के लिए सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करके सरकार और विभाग के प्रयासों में अपना सक्रिय योगदान दें।

जय हिन्द !

नीरज वर्मा
(नीरज वर्मा)

नई दिल्ली
17 सितंबर, 2025

कमरा नं 14, जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011, टेलि : +91-11-23383674 फैक्स : +91-11-23384516, ई–मेल : secy-jus@gov.in
Room No.: 14, Jaisalmer House, 26 Mansingh Road, New Delhi-110011, Tel : +91-11-23383674 (O), Fax : +91-11-23384516, Email : secy-jus@gov.in